ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00080

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 14/2020

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री अमीत पुत्र श्री अशोक कुमार नागपाल नमूना विक्रेता मालिक
मैसर्स– अमित आईसक्रीम, 25–ए, रोहित उद्योग, बाबा रामदेव मंदिर के सामने
श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
2006 की धारा 26(2)(2)/51/52

निर्णय दिनांक : 26.05.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.08.2019 को दोपहर बाद 05.00 पी.एम. पर श्री राकेश सचदेवा, लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ फर्म मै0 अमित आईसक्रीम, 25–ए, रोहित उद्योग, बाबा रामदेव मंदिर के सामने श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर पहुंचा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां पर श्री अमीत पुत्र श्री अशोक कुमार नागपाल, निवासी 165, जी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त फर्म का निरीक्षण किया तो वहां रखी फ्रिज में 333 ग्राम वजनी (700 मि.ली.) 120 गत्ता पैकिंग **MIXF FRUIT ICECREAM** आमजन को विक्रय हेतु रखी थी। मिलावट /नकली का शक होने पर नमूना जॉच संख्या के–968 के नमूनीकरण के लिये 333 ग्राम के 4 गत्ता पैंकिंग **MIXF FRUIT ICECREAM** खरीदा जिसकी कीमत 180/–रूपये **(अखरे एक सौ अस्सी रूपये)** का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश सचदेवा, एवं श्री हरीश खुराना के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म संख्या 5ए प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नं 05 पर **MIXF FRUIT ICECREAM** विक्रेता श्री अमित पुत्र श्री अशोक कुमार नागपाल एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5–ए की एक प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **MIXF FRUIT ICECREAM** के पैकिंग को खोलकर चार प्लास्टिक की बोतलों में अलग–अलग भरकर उनके ढक्कनों को कस कर बंद किया एवं टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **के–968** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों गत्ता पैकिट की फोटो कापी करवाकर , कापी पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रत्येक नमूना भाग के साथ अलग–अलग खाकी कागज में खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप **के–968** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता अमीत पुत्र श्री अशोक कुमार नागपाल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1810/एक्ट/2019/1369 दिनांक 20.08.2019 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–968 **MIXF FRUIT ICECREAM अमानक स्तर Sub-standard & Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री अमित पुत्र श्री अशोक कुमार नागपाल, मैसर्स अमित आईसकीम, 25–ए, रोहित उद्योग, बाबा रामदेव मंदिर के सामने, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **MIXF FRUIT ICECREAM** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.07.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि :–

1. यह है कि परिवाद की चरण संख्या–1 जिस प्रकार से अंकित है इस सीमा तक स्वीकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.08.2019 को अप्रार्थी के संस्थान पर आये थे तथा फ्रिज में रखी आईसक्रीम का निरीक्षण किया था। किसी प्रकारसे कोई 180/– रूपये राशि देकर आईसक्रीम नहीं खरीदी थी, ना ही मिलावट के सम्बन्ध में कोई बात हुई थी। तमाम तथ्य स्वयं की मर्जी से मनमाने तौर पर अंकित किये गये है।
2. यह कि परिवाद की चरण संख्या–2 जिस प्रकार से अंकित है अस्वीकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया था तमाम तथ्य परिवाद को कानूनी रूप देने के लिए असत्य कथित किये गये है।
3. यह कि परिवाद की चरण संख्या–3 जिस प्रकार से अंकित है अस्वीकार है। किसी प्रकार से भी अप्रार्थी के समक्ष मिक्स फ्रूट आईसक्रीम की पैंकिग को खोलकर बोतलों में नहीं भरा, केवल मात्र खाली छपे हुये फार्मो पर हस्ताक्षर करवाये थे। इस चरण में वर्णित तमाम तथ्य की जानकारी अप्रार्थी को नहीं है। यह तमाम कार्यवाही जिसका वर्णन इस चरण में किया गया है, अप्रार्थी के समक्ष नहीं की गयी। कहीं अन्यत्र बैठकर कार्यवाही की गयी हो तो उसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है।
4. यह कि परिवाद की चरण सख्यां 4 जिस प्रकार से वर्णित की गयी है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है क्योंकि स्वयं परिवादी ने अपने कार्यालय में पहुंचकर कार्यवाही करने का उल्लेख किया है।
5. यह कि परविाद की चरण संख्या –5 जिस प्रकार वर्णित है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। किसीस प्रकार से अप्रार्थी द्वारा निर्मित मिक्स फ्रूट आईसक्रीम का नमूना **Sub-standard & Misbranded Food** नहीं पाया गया। इस चरण के कथन केवल मात्र प्रकरण बनाने के लिए मिथ्या अंकित किये है किसी प्रकार से भी मुझ विक्रेता को पुनः जांच हेतु कोई पत्र प्रेषित नहीं किया।
6. यह कि परिवाद की चरण संख्या–6 जिस प्रकार से वणि्रत है तथ्यों की जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
7. यह कि परिवाद की चरण सख्या–7 जिस प्रकार से वर्णित है अस्वीकार है। प्रकरण को विधिक रूप देने के लिए अंकित किये गये है।

<u>अतिरिक्त कथन</u>

8. यह कि अप्रार्थी द्वारा निर्मित प्रोडेक्ट में किसी प्रकार से **Sub-standard & Misbranded Food** होना नहीं पाया गया जैसाकि हैल्थ लैबोरेट्री जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 20.08.2019 में दिये मानकों के अनुसार **Milk Fat 10.0%** होने का उल्लेख किया है जो टेस्ट में परिणाम **9.39 %** दर्शाया गया है। यह अन्तर केवल मात्र आईसक्रीम को फ्रीज से बाहर निकालकर रखने मात्र से बाहर के तापमान के आधार पर अन्तर आ सकता है। इस प्रकार **Butyro Refractometer में Milk Fat 40.0 to 44.0** होना चाहिए। जिसका परिणाम 44.6 अंकित किया गया है। इतना

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अन्तर वातावरण के अनुसार भी हो सकता है इस प्रकार से अप्रार्थी फर्म द्वारा निर्मित मिक्स फ्रूट आईसक्रीम में किसी प्रकार से कोई अनियमितता होना जांच रिपोर्ट में भी देखने से नहीं पाई गयी है। जैसा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत धारा 3 (ZF) में दी गयी परिभाषा में **Misbranded Food** फूड, मिथ्या छाप वाला खाद्य कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है इस परिभाषा के अनुसार कोई कृत्रिम सुरूचि कारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज पर उस तथ्य का कथन वाला घोषणात्मक लेवल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेवल नहीं लगाया गया है या उसके उल्लंधन में है या (ii) विशेष आहार उपयोगों के लिए विक्रय के लिए प्रस्थापित किया गया है जब तक की उसके लेवल पर उसके विटामिन, खनिज या अन्य आहार तत्वों के बारे में ऐसी जानकारी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे उपयोग के लिए उसके गुणों के बारे में उसके क्रेता को पर्याप्त रूप से सूचित करने के लिए उसके लेवल में नहीं दी गई या (iii) उसके बाहर उसके बारे में सहजदृश्य रूप से या सही रूप से कथित नहीं है ि कवह इस अधिनियम के अधीन अभिकथित परिवर्तिता की सीमाओं के भीतर है, तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(ZX) "Sub-Standard" (अवमानक) इस परिभाषा के अनुसार अवमानक से अभिप्रेत कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानको को पूरा नहीं करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है।

अतः जवाब परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसी स्तर पर परिवाद खारिज फरमाया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **MIXF FRUIT ICECREAM** का सैम्पल के–968 जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1810/एक्ट/2019/1369 दिनांक 20.08.2019 द्वारा **Sub-standard & Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 एवं 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा निर्मित प्रोडेक्ट में किसी प्रकार से **Sub-standard & Misbranded Food** होना नहीं पाया गया जैसाकि हैल्थ लैबोरेट्री जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 20.08.2019 में दिये मानकों के अनुसार **Milk Fat 10.0%** होने का उल्लेख किया है जो टेस्ट में परिणाम **9.39 %** दर्शाया गया है। यह अन्तर केवल मात्र आईसक्रीम को फ्रीज से बाहर निकालकर रखने मात्र से बाहर के तापमान के आधार पर अन्तर आ सकता है। इस प्रकार **Butyro Refractometer में Milk Fat 40.0 to 44.0** होना चाहिए। जिसका परिणाम 44.6 अंकित किया गया है। इतना अन्तर वातावरण के अनुसार भी हो सकता है इस प्रकार से अप्रार्थी फर्म द्वारा निर्मित मिक्स फ्रूट आईसक्रीम में किसी प्रकार से कोई अनियमितता होना जांच रिपोर्ट में भी देखने से नहीं पाई गयी है। जैसा कि खाद्य सुरक्षा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत धारा 3 (ZF) में दी गयी परिभाषा में **Misbranded Food** फूड, मिथ्या छाप वाला खाद्य कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है इस परिभाषा के अनुसार कोई कृत्रिम सुरूचि कारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज पर उस तथ्य का कथन वाला घोषणात्मक लेवल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तद्वीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेवल नहीं लगाया गया है या उसके उल्लंधन में है या (ii) विशेष आहार उपयोगों के लिए विक्रय के लिए प्रस्थापित किया गया है जब तक की उसके लेवल पर उसके विटामिन, खनिज या अन्य आहार तत्वों के बारे में ऐसी जानकारी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे उपयोग के लिए उसके गुणों के बारे में उसके केता को पर्याप्त रूप से सूचित करने के लिए उसके लेवल में नहीं दी गई या (iii) उसके बाहर उसके बारे में सहजदृश्य रूप से या सही रूप से कथित नहीं है िकवह इस अधिनियम के अधीन अभिकथित परिवर्तिता की सीमाओं के भीतर है, तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 3(ZX) "Sub-Standard" (अवमानक) इस परिभाषा के अनुसार अवमानक से अभिप्रेत कोई खाद्य पदार्थ तब अवमानक समझा जाएगा यदि वह विनिर्दिष्ट मानको को पूरा नहीं करता है किन्तु उससे खाद्य पदार्थ असुरक्षित नहीं होता है। अतः परिवाद खारिज फरमाया जावें।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **MIXF FRUIT ICECREAM** " bearing Code No. and Sr. No. K-968 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is **Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards** (Food Products Standards and Food additive) Regulation, 2011.and Misbranded Under Section 3[1][zf] (c) (i) of FSS Act ,2006 जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में "**MIXF FRUIT ICECREAM** " के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर